


1) $\frac{5}{18}$

पकावती पेश ~~है~~ उच्च कोर्ट में पेश
है। प्रकरण से संबंधित वाद पक का निस्तार
हो चुका है। प्र. पक अल्पाई एपारेण का जारी
रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः गर्पना
पक अल्पाई एपारेण को खारिज की जाती है।
पकावती फौजदारी प्रमाण डेकर नम्बर 18 का
राधा पकावती दायित्व दफ्तर है।


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (हस्त)